



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2004/वैशाख 29, 1926

No. 454]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2004/VAISAKHA 29, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004

का.आ. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार या सशक्त अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषकों के रूप में मान्यता देती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 728 (अ) तारीख 21 जुलाई, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में -

- (i) क्रम संख्या 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:

क्र० सं०	प्रयोगशाला का नाम	विश्लेषक का नाम
1	2	3
"110	मैसर्स सॉफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल मैटेरियल एनालिटिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सी-95, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1 नई दिल्ली - 110020	1- जगमोहन सिंह चड्ढा 2- वीरेंद्र कुमार शर्मा 3- हरीश कुमार अरोड़ा "

- (ii) क्रम सं० 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्

क्र० सं०	प्रयोगशाला का नाम	विश्लेषक का नाम
1	2	3
113	मैसर्स सर्विसिज एन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी, 39, श्याम सुन्दर सोसायटी, महात्रे पुल के पास, पुणे - 411030	1- श्री कुणाल मनोहर नारगोलकर 2- श्री अनिल ट्रिम्बक देवभानकर 3- श्री अमित आनंद पटकी
114	मैसर्स गाडक लेबोरेट्री प्रा० लि० इंडिस्ट्रियल एनालिस्ट एण्ड कंसलटेंट्स, 15, हिन्दुस्तान कोहिनूर इंडिस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, एल०बी०एस०मार्ग, विखरोली(प०), मुम्बई-83	1- श्री भीमराव शामराव राणे 2- श्री शरद भास्कर गावडे 3- श्री कैलाश वसंत चितालकर
115	मैसर्स अश्वमेघ इंजिनियर्स एण्ड कंसलटेंट्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, प्लॉट सं० 89/11/2, द्वितीय तल, पथराडी (सिमन्स कॉलोनी) रोड	1- श्रीमती अपर्णा सुनील फारंडे 2- श्री सन्तोष भास्कर पानिकर 3- श्रीमती दीपाली विनीत बोरावाके
	इंदिरा नगर, नासिक-422009	
116	मैसर्स ए०ई०एस० लेबोरेट्रीज बी-118, फेज-II नोएडा - 201304	1- श्री नंद गोपाल मौर्य 2- श्री राजेश कुमार सिंह 3- श्री बिरेन्द्र सिंह राजवार

2. सारणी के क्रम संख्यांक 113 से 116 में उल्लिखित प्रयोगशालाओं की मान्यता इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। यह मान्यता केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले भी प्रतिरूपप्रतीत की जा सकती है।"

[फा.सं.क्यू-15018/22/2000-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश कुमार वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का०आ० 728(अ) तारीख 21-7-1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए: -

का०आ० 838(अ) तारीख 23-9-1987, का०आ० 989(अ) तारीख 17-11-1987, का०आ० 156(अ) तारीख 24-2-1989, का०आ० 489(अ) तारीख 17-5-1989, का०आ० 846(अ) तारीख 24-10-1989, का०आ० 375(अ) तारीख 26-4-1990, का०आ० 633(अ) तारीख 31-8-1994, का०आ० 54(अ) तारीख 15-1-1997, का०आ० 305 (अ) तारीख 7-4-1997, का० आ० 17(अ) तारीख 9-3-1998, का०आ० 1508 (अ) तारीख 27-7-1998, का०आ० 454(अ) 11-2-2000, का०आ० 683(अ) तारीख 23.3.2001, का०आ० 820(अ) तारीख 2-8-2002, का०आ० 1257(अ) तारीख 2-12-2002, का०आ० 462(अ) तारीख 23-4-2003

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2004

S.O. 598(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act and the rules made there under, and the persons specified in column (3) of the said Table to be the Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under section 11 of the said Act, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.728(E) dated the 21st July, 1987, namely:-

In the Table appended to the said notification -

(i) for serial number 110 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of the Laboratory	Name of the Analyst
1)	(2)	(3)
* 110.	M/s Sophisticated Industrial Materials Analytic Labs Private Limited, C-95, Phase-I, Okhla Industrial Area, New Delhi - 110 020.	1) Sh. Jagmohan Singh Chadha 2) Sh. Virendra Kumar Sharma 3) Shri Harish Kumar Arora*

(ii) after serial number 112 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely:

- | | |
|--|---|
| <p>"113. M/s Horizon Services Environmental and Safety,
39, Shyamsunder Society, Near Mhatre Bridge,
Pune - 411 030.</p> | <p>(1) Sh. Kunal Manohar Nargolkar
(2) Sh. Anil Trimbak Deobhankar
(3) Sh. Amit Anand Patki</p> |
| <p>114. M/s Gadark Laboratory Private Limited
Industrial Analysts & Consultants,
15, Hindustan Kohinoor Industrial Complex,
L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 83.</p> | <p>(1) Shri Bhimrao Shamrao Rane
(2) Shri Sharad Bhaskar Gawde
(3) Shri Kailash Vasant Chitalkar</p> |
| <p>115. M/s Ashwamedh Engineers and Consultants
C-operative Society Ltd., Plot No. 89/11/2,
Second Floor, Pathardi (Siemen's Colony)
Road, Indira Nagar, Nashik -422009.</p> | <p>(1) Smt. Aparna Sunil Pharande
(2) Shri Santosh Bhaskar Panicker
(3) Mrs. Deepali Vinit Borawake</p> |
| <p>116. M/s AES Laboratories,
B-118, Phase-II,
Noida - 201304.</p> | <p>(1) Shri Nand.Gopal Maurya
(2) Shri Rajesh Kumar Singh
(3) Shri Birendra Singh Rajwar</p> |

2. The recognition of laboratories mentioned at serial numbers 113 - 116 of the tabel shall be valid for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The recognition can be revoked earlier by the Central Government".

[F.No.Q. 15018/22/2000-CPW]

RAJNISHA KUMAR VAISH, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 728(E) dated 21st July, 1987 and subsequently amended vide:-

S.O. 838(E) dated 23rd September, 1987, S.O. 989 (E), dated 17th November, 1987, S.O. 156 (E) dated 24th February, 1989, S.O. 489 (E), dated 17th May, 1989, S.O. 846 (E) dated 24th October, 1989, S.O. 375 (E), dated 26th April, 1990, S.O.633 (E) dated 31st August, 1994, S.O.54(E), dated 15th January, 1997, S.O.305(E) dated 7th April, 1997, S.O.173(E) dated 9th March, 1998, S.O.1508 dated 27th July, 1998, S.O.454, dated 11th February, 2000, S.O. 683, dated 23rd March, 2001 & S.O.820 (E), dated 2nd August, 2002, S.O. 1257 (E) dated the 2nd December, 2002, S.O. 462 (E) dated the 23rd April, 2003.